

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2024—आश्विन 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1-5-5-0008-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची-एक

(1) वाणिज्यिक कर विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम :- वाणिज्यिक कर विभाग (कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, रवालिपर)

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के द्वारा मरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1-5%) चिन्हांकित पद	रिक्त पद	बाहरे और कम सुने वाले वाले (1-5%) चिन्हांकित पद	मरे पद	रिक्त पद	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/मरे पद/रिक्त पदों की जानकारी	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल मरे पद (6+8+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी						
																	मरे पद	रिक्त पद	मरे पद	रिक्त पद	मरे पद	रिक्त पद
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	आइ. टी. ऑफिसर	106	76	30	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7	0	1	0	1	6	7	0	
	सहायक ग्रेड-3	158	132	26	10	3	3	0	3	1	2	5	0	5	0	2	0	2	10	9	1	
	आबकारी आरक्षक	1023	922	101	62	16	11	5	16	7	8	15	5	5	10	15	4	11	62	27	35	
	योग	1287	1130	157	78	20	14	6	21	8	12	19	17	17	10	18	4	14	78	43	38	
चतुर्थ	चौकीदार	6	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
	भृत्य	331	232	99	20	5	5	0	5	6	0	5	9	9	0	5	0	5	20	20	0	
	योग	337	235	102	21	5	5	0	5	6	0	6	9	9	1	5	0	5	21	20	1	
	महायोग	1624	1365	259	99	25	19	6	28	14	12	25	26	26	11	23	4	19	99	63	37	

मध्यप्रदेश के राष्ट्रपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.